


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1225 / 2013.....जिला.....झुंझून.....

उनवान- सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, झुंझून बनाम जे पी स्टोन केशर, झुंझून।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.2015	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री आशा कुमारी – सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी विभाग की ओर से श्री <del>O.P.S.</del> उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित, प्रत्यर्थी अनुपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी विभाग की ओर से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, झुंझून के द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 का प्रत्यर्थी लाभ लेना चाहता है अतः प्रकरण को Withdraw करने की अनुमति प्रदान करे।</p> <p>विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने भी प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	

*Page*

  
 (आशा कुमारी)  
 सदस्य